

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)



रजि० ऑफिस द्वितीय तल, पुयना महिला हॉस्टल, नेहरू पैलेस के पीछे, लाल कोठी, टोक, जयपुर-302015

फोन नं. 0141-2744562, 2744776; फैक्स नं. 0141-2744562,
Website:-transport.rajasthan.gov.in/jctsl; Email:- jctsl.bus@gmail.com

GST No.- 08AABCJ9735H1ZA

क्रमांक: प्र.नि./जे.सी.टी.एस.एल./2018-19/डी- 1171

दिनांक 13 -- 07 -- 2018

कार्यालय-आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2018-2019 के बजट भाषण की घोषणा के बिन्दु संख्या 26 की अनुपालना में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट बस सर्विसेज लिमिटेड की जयपुर में संचालित सभी श्रेणियों की बसों में 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों (महिला/पुरुष) को मुफ्त यात्रा सुविधा के साथ ही उनके एक सहयोगी (महिला/पुरुष) को यात्री किराये में 50 प्रतिशत रियायत दर पर यात्रा सुविधा प्रदान की जानी है।

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट बस सर्विसेज लिमिटेड के सभी परिचालक/बस सारथी इन वृद्धजन के अधिमान्य पहचान पत्र के आधार पर निःशुल्क यात्रा की अनुमति देंगे व सहयोगी यात्री को रियायती दर (50 प्रतिशत) पर टिकट जारी कर यात्रा सुविधा प्रदान करेंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

प्रबन्ध निदेशक

जेसीटीएसएल, जयपुर

क्रमांक: प्र.नि./जे.सी.टी.एस.एल./2018-19/डी- 1171 दिनांक 13 - 07 -- 2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष जेसीटीएसएल जयपुर
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, जेसीटीएसएल, जयपुर
5. मुख्य प्रबन्धक जेसीटीएसएल सांगानेर/टोडी/विधाधर नगर (ब) आगार जयपुर ।
6. प्रबन्धक (वित्त) जेसीटीएसएल सांगानेर/टोडी/विधाधर नगर (ब) आगार जयपुर ।
7. आई.टी. शाखा जेसीटीएसएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को वेब साइट पर भी उपलब्ध करावे।

विशेषाधिकारी

जेसीटीएसएल, जयपुर

राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश / अनुमोदन अनुसार देय यात्रा सुविधाओं का विवरण

1.	पत्रकार	13.	युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवायें एवं उन पर आश्रित अवयस्क संताने
2.	विधार्थी	14.	असंक्रामक कुष्ठ रोगी
3.	नेत्रहीन	15.	थैलीसीमिया रोगी
4.	नेत्रहीन का एक सहयोगी	16.	थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी
5.	विकलांग (अस्थि विकलांग)	17.	राज्य की अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी बालिकाये कक्षा 8 तक अध्ययन हेतु स्कूल जाने व आने के लिये
6.	कैन्सर रोगी	18.	श्रवण बाधित
7.	कैन्सर रोगी का एक सहयोगी	19.	मनसिक विमन्दिता
8.	स्वतन्त्रता सैनानी	20.	मनसिक विमन्दिता का एक सहयोगी
9.	स्वतन्त्रता सैनानी का एक सहयोगी	21.	एड्स रोगी
10.	स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाएं	22.	60 वर्ष व इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
11.	स्वतन्त्रता सैनानियों की विधवाओं का एक सहयोगी	23.	महिलाएँ के लिए
12.	युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं का एक सहयोगी		